

विशेष संवाहक द्वारा/द्रुत डाक से
सं.14/5/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 26 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 03 नवम्बर, 2016 को आयोजित होने के लिए निर्धारित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 5वीं बैठक 2016 श्रृंखला - कार्यवृत्त प्रेषित करना। दिनांक 03 नवम्बर, 2016 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 5वीं बैठक (2016 श्रृंखला) - अनुपूरक एजेंडा को अग्रेषित करने के संबंध में।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची की मर्दों को अग्रेषित करने के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को उल्लेख करने का निदेश हुआ।

मैसर्स एमएसपी स्पंज ऑयरन लिमिटेड, ओडिशा के मामले में मौजूदा डीटीए इकाई को ईओयू में सम्परिवर्तित करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा के लिए भेजी जा रही है।

संलग्न : यथोक्त

ह0/-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. महानिदेशक, विदेशी व्यापार महानिदेशालय
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि प्रेषित : वाणिज्य सचिव के निजी सचिव/अपर सचिव (एवीसी) के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (टीवीआर) के निजी सहायक।

ईओयू स्कीम के लिए दिनांक 03.11.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित 5वीं बीओए बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची।

5.8 (16) मैसर्स एमएसपी स्पंज ऑयरन लिमिटेड, ओडिशा – एफएसईजेड के अंतर्गत डीटीए इकाई को ईओयू में सम्परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स एमएसपी स्पंज ऑयरन लिमिटेड ने हल्दीगुना, गबरधन, जिला क्यॉंझर, उड़ीसा स्थित एक डीटीए इकाई को ईओयू में सम्परिवर्तित करने के लिए एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है ताकि वे लौह अयस्क पैलेट, लौह अयस्क सांद्रण +5 एमएम, लौह अयस्क सांद्रण -5 एम एम का विनिर्माण और निर्यात कर सकें।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निर्यात
2013-14	83.12
2014-15	शून्य
2015-16 (इस समय प्रचालन में नहीं है)	शून्य

कुल जमा पूंजी निवेश 260 रुपये है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया (लगभग) 197 करोड़ रुपये निवेश भी शामिल है। इस यूनिट का अगले पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपित निर्यात कारोबार 804 करोड़ रुपये है जिसमें एनएफई 798 करोड़ रुपये है।

उप-विकास आयुक्त, एफएसईजेड की निरीक्षण रिपोर्ट और सहायक उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्त, क्यॉंझर की निरीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया है कि एफएसईजेड प्राधिकारियों से ईओयू का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात यह यूनिट वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद तथा और भविष्य में सकारात्मक एनएफई के दायरे में अर्थक्षम हो जाएगी और यह यूनिट स्थानीय निवासियों को अधिक रोजगार प्रदान करेगी।

एफटीपी के संगत पैराग्राफ

एफटीपी 2015-2020 के पैरा 6.07 में प्रावधान करता है कि किसी ऐसी मौजूदा डीटीए इकाई, जिसका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 50.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है अथवा जिसका वार्षिक निर्यात 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक हों, को ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी में सम्परिवर्तित करने के लिए आवेदनपत्र निर्णयार्थ बीओए के समक्ष रखा जाना चाहिए।

डीसी की संस्तुति : डीसी ने मौजूदा डीटीए को ईओयू यूनिट में सम्परिवर्तित करने के लिए यूनिट के प्रस्ताव की संस्तुति की है।